उत्तर प्रदेश शासन

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-1

संख्या- 11/1728 /62-1-2014-4आर/2009टीसी-11

लखनऊ : दिनांक 15 दिसम्बर,2014

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश में वार्षिक पुन: आपूरणीय भूजल संसाधन (Annual Replenishable Ground Water Resource) की नवीन आकलन 31-3-2011 के आधार पर ग्राउण्ड वाटर रिसोर्स एस्टीमेशन कमेटी-97(GEC-97) द्वारा निर्धारित मापदण्ड/प्रक्रिया के अनुसार किया गया था। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भूगर्भ जल के परिदृश्य में सतत परिवर्तन के दृष्टिगत 02 वर्ष के अन्तराल पर भूजल संसाधनों के आकलन का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया जा चुका है।

उक्त के क्रम में केन्द्रीय भूजल बोर्ड, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 16-9-2014 एवं जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार के आयुक्त (एस0पी0) के अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 22-8-2014 द्वारा 31-3-2013 की स्थिति के आधार पर भूजल संसाधनों का आकलन कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। प्रदेश् स्तर पर इस भूजल आकलन रिपोर्ट के अनुमोदन हेतु एक राज्य स्तरीय समिति के गठन के भी निर्देश् दिये गये हैं। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व 31-3-2011 की स्थिति के आधार पर प्रदेश में भूजल संसाधनों के आकलन एवं अनुमोदन हेतु जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 295/62-1-2012-4आर/2009, दिनांक 08-6-2012 द्वारा प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0शासन की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति गठित की गयी थी।

अत: जल संसाधन मंत्रालय के नवीन दिशा-निर्देशों के क्रम में 31-3-2013 के ऑकडों पर आधारित प्रदेश के भूजल संसाधनों की आकलन रिपोर्ट के अनुमोदन हेतु पूर्व कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 08 जून, 2012 मे यथा आवश्यक संशोधन करते हुए एतदद्वारा ''राज्य स्तरीय भूजल आकलन समिति'' का गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

(1) प्रमुख सचिव, लघु सिचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0शासन - अध्यक्ष
(2) प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 - सदस्य
(3) प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग(यांत्रिक), उ0प्र0 - सदस्य
(4) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ - सदस्य
(5) निदेशक, कृषि विभाग, उ0प्र0 - सदस्य
(6) मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 - सदस्य
(7) क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूजल परिषद, उत्तरी क्षेत्र, लखनऊ -सदस्य/सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(8) महा प्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, लखनऊ - सदस्य

(9) निदेशक, उद्योग, उ0प्र0। - सदस्य

(10) अधिशासी निदेशक, पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उ0प्र0। - सदस्य

(11) मुख्य अभियंता, राज्य जल संसाधन अभिकरण, लखनऊ - सदस्य

(12) सदस्य/सचिव, प्रदूषण नियंण बोर्ड, उ0प्र0 - सदस्य

(13) प्रमुख वन संरक्षक, वन विभाग, उ0प्र0 - सदस्य

(14) निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 - सदस्य

(15) निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 - सदस्य

(16) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्टेट लेवल नोडल एजेन्सी, परती भूमि विकास विभाग - सदस्य

(17) तकनीकी विशेषज्ञ (आई0आई0टी0 कानपुर/एन0आई0एच0, रूडकी/बी0एच0यू0 वाराणसी) - सदस्य

(18) निदेशक, रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर, उ0प्र0 - सदस्य

(19) प्रतिनिधि भारतीय मौसम विभाग, लखनऊ - सदस्य

(20) प्रतिनिधि राजस्व परिषद, उ0प्र0 - सदस्य

(21) निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 - सदस्य

उक्त समिति के मुख्य कार्य एवं उत्तरदायित्व निम्नानुसार होंगे:-

(1) GEC-97 के अनुसार भूजल संसाधनों की गण्ना/आकलन की प्रणाली (Ground Water Estimation Methodology) के अनुसार प्रदेश में वार्षिक पुन: आपूरणीय भूगर्भ जल संसाधन(ARGWR) का आकलन सुनिश्चित कराया जाना।

(2) (2) वार्षिक रिप्लेनेशेबिल भूजल रसायन के विभिन्न क्षेत्रों के उपयोग/दोहन की स्थिति का आंकलन कराया जाना।

(3) समिति द्वारा उक्त आंकलन हेतु भारत सरकार द्वारा समय-समय पर परिचालित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी।

(4) समिति द्वारा उक्तानुसार 31-3-2013 की स्थिति पर आधारित भूजल संसाधनों के आकलन से सम्बन्धित रिपोर्ट समिति के गठन के 06 माह के भीतर प्रस्तुत करने की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आमंत्रित तकनीकी विशेषज्ञों के यात्रा-भत्ता पर आने वाला व्यय भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 द्वारा वाहन किया जायेगा।

ह0/-
(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्या- 11 /1728 /62-1-2014-4आर/ तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समिति के समस्त सदस्य ।
2- प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन/क़ृषि/नगर विकास/परती भूमि विकास/पर्यावरण/आवास एवं शहरी नियोजन/उद्योग, उ0प्र0शासन।
3- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन
4- स्टाफ आफीसर, क़ृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन।
5- संयुक्त सचिव, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली।
6- अध्यक्ष, केन्द्रीय भूजल बोर्ड, भूजल भवन, एन0एच0-4, फरीदाबाद।
7- क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूजल परिषद, उत्तरी क्षेत्र, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि समिति की यथावश्यक बैठकें आयोजित कराते हुए अग्रिम कार्यवाही की जाय।
8- निदेशक, आई0आई0टी0 कानपुर/एन0आई0एच0, रूडकी।
9- उप कुलपति, बी0एच0यू0, वाराणसी।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(चन्द्र प्रकाश)
प्रमुख सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in